समाहरणालय, नवादा
नवादा – 805110
(जिला राजस्व शाखा)

:–अल्पकालीन निविदा:–

नवादा जिला अन्तर्गत 14 अंचलो में जमाबन्दी पंजी–02 एवं सर्वे खतियान के स्कैनिंग हेतु ऐजेन्सी एवं दर का निर्धारण निम्न प्रकार के कार्य कम्प्यूटर से कराने हेतु मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है:–

1. जमाबन्दी पंजी–02 का स्कैनिंग 14 अंचल से संबंधित सभी जमाबन्दी पंजी का
2. सर्वे खतियान का स्कैनिंग (सभी राजस्व थाना का)
3. स्कैनिंग के पश्चात ऑन लाईन प्रकाशन
4. स्कैनिंग के पश्चात् सर्वे खतियान एवं पंजी–02 की चार–चार प्रतियाँ हार्ड कॉपी मे तैयार किया जायेगा।

इच्छुक निविदादाता तकनीकि एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग बंद लिफाफो में निम्नलिखित शर्तो के साथ दिनांक 30.8.16 को 2:00 अपराह्न तक अपर समाहर्त्ता, नवादा के कार्यालय में दे सकते है।

सभी निविदा दिनांक 30.8.16 को 4:00 बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा के संबंध में विशेष जानकारी हेतु जिला राजस्व शाखा, नवादा से किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क किया जा सकता है कोई भी निविदा निर्धारित तिथि के पश्चात स्वीकार नही किया जायेगा।

तकनीकि निविदा में सफल संवेदको की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(क)तकनीकि शर्ते :–

1. निविदादाताओं को आयकर विभाग एवं वैट का निबंधन होना एवं निबंधित कार्यालय बिहार राज्य का होना अनिवार्य है। साथ ही विगत तीन वर्षो का करशोधन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। निविदादाता का वार्षिक आय–व्यय एक करोड़ रूपये एवं उससे अधिक का होना चाहिए।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 25000.00(पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफट मूल में जिला पदाधिकारी, नवादा के पदनाम से संलग्न करना होगा।
3. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव/कार्यादेश की प्रति संलग्न की जाय।
4. निविदादाता को निविदा के साथ उनका प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है, से संबंधित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
5. निविदादाता को शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा व्यवहृत सभी operating System Licensed/Legal Authorized है।
6. स्कैनिंग Book Scanner with a speed of 10 PPM के माध्यम से किया जाना है।
7. निविदादाता को Book Scanner with a speed of 10 PPM का उपयोग कर स्कैनिंग का कार्य करना होगा एवं उक्त कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले Generator, UPS, Server/ Computer की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

Adm

8. निविदादाता को तकनीकि क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध साधनो (Pool Source) का विवरण यथा:-कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, स्टाफ की संख्या, जेनरेटर, स्कैनिंग एवं प्रिंट आउट निकालने की क्षमता आदि तथा सही-सही किये गये कार्यो को दैनिक प्रतिवेदन में अंकित करना होगा। निविदा में अंकित विवरणी उक्त के अनुरूप नही पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

9. निविदादाता को लेजर प्रिंटिंग हेतु Original Tonner तथा Legal/A3 Size Excutive Bond 80/75 gsm paper का ही उपयोग करना होगा।

10. सभी कार्यो को जिला पदाधिकारी, द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर समाप्त करना अनिवार्य होगा।

11. निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य नही किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/एक हजार रूपये दण्ड स्वरूप समर्पित विपत्र के माध्यम से जमा करना पड़ेगा। साथ ही अग्रधन की राशि जप्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी।

12. किसी भी परिस्थिति में Sub Contracting स्वीकर नही होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए निबंधित फर्म के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जायेगी।

13. Book Scanner with a speed of 10 PPM एवं अन्य किसी तकनीकी जानकारी हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, नवादा से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

14. Book Scanner with a speed of 10 PPM का कार्य जिला मुख्यालय में सभी 14 अंचलो के अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर/रजौली तथा जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

15. आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य का स्थल परिवर्त्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।

16. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदा को स्वंय खर्च पर रखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

17. राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यो के लिए समय सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।

(ख)वित्तीय शर्त्ते :-

01. स्कैनिंग एवं हार्ड कॉपी की प्रिंटिंग दर Legal /A3 Size Excutive Bond 80 /75 gsm Paper पर मुद्रण(कागज सहित) संबंधित निविदादाता द्वारा दिया जायेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 1915/रा0 दिनांक 18.12.2014)

(ग)समान्य शर्त्तः-

01. संदर्भित एवं समय सीमा की बाध्यता के मध्नजर न्यूनतम दर पर कार्य का वितरण एक से अधिक निविदादाताओ के बीच आंवटित किया जा सकता है। निविदादाता के संयुक्त कार्य का आदेश जिला पदाधिकारी, नवादा के पास सुरक्षित रहेगा।

02. चयनित एजेंसी को जो भी सरकारी कागजात यथा पंजी-02 सर्वे खतियान आदि स्कैनिंग के लिए दी जायेगी, उसके रख-रखाव की जिम्मदारी उन्ही की होंगी, जबतक कि स्कैनिंग के पश्चात् मूल पंजी/खतियान अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार को वापस न कर दिया जायेगा।

03. किसी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नही होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई भी ब्याज की राशि देय नही होगा।

04. कार्यवंटन से पूर्व राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा।

05. किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

06. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

07. फर्म का चयन उनकी तकनीकि दक्षता, न्यूनतम दर एवं निगोशियेशन के आधार पर किया जायेगा।विस्तृत जानकारी के लिए नवादा जिलें के बेवसाईट (www.nawada.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है।

8/8/16

समाहर्त्ता,
नवादा।

Adm